REET 2025
LEVEL-1&2
वंदन बैच
POLITY
विधानमंडल
Part -2
LIVE
13-02-2025 07:00 PM

REET POLITY

विधानसभा का गठन (अनुच्छेद 170)-

- संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी।
- विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75 हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्यीय हैं। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनायी गयी है।
- राजस्थान राज्य को 200 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

राजस्थान विधानसभा सीट = 200 — [34 → SC, 25 → ST]

—— लोकसभा सीट – 25 — [4 SC, 3 ST]

REET POLITY

विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं (अनुच्छेद 173)-

1. भारत का नागरिक हो
2. उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो

विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं (अनुच्छेद 191)-

1. भारत/राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो
2. पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो
3. संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो।

REET POLITY

विधानसभा का कार्यकाल (अनुच्छेद 172)-

- विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समयपूर्व भी भंग किया जा सकता है परन्तु आपातकाल में संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकटकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा।

कार्यकाल = सामान्यत: 5 year

→ आपातकाल – 6 माह – 6 माह – 3 year

REET POLITY

विधानसभा के पदाधिकारी (अनुच्छेद 178-181)-

- प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं -

1. विधानसभा अध्यक्ष
2. विधानसभा उपाध्यक्ष

अध्यक्ष — त्यागपत्र → उपाध्यक्ष

- इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही होता है।
- अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है।
- इन दोनों को 14 दिन की पूर्व सूचना देकर (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) विधानसभा सदस्यों के पूर्ण बहुमत वाले प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

REET POLITY

विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य :

1. विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करता है।
2. सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना।
3. सदन में भाषण देने हेतु अध्यक्ष की आज्ञा आवश्यक है।
4. सदन की कार्यवाही में से असंसदीय या अशिष्ट शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है।
5. सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है।

7. मतदान पश्चात् परिणाम की घोषणा करता है।

8. सामान्य परिस्थिति में मतदान में भाग नहीं लेता परन्तु पक्ष-विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है।

9. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है।

10. विधानसभा में दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा दिया जाता है।

नोट- विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार होती हैं। ये बैठकें राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में संपन्न होती हैं।

→ बजट सत्र
→ मानसून सत्र
→ शीतकाल सत्र

REET POLITY

विधान मंडल के कार्य-

- विधानमण्डल को राज्यसूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।
- विधानमंडल को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। बजट व विनियोग विधेयक पास होने के बाद ही संचित निधि से धन व्यय किया जा सकता है।

राजस्थान

REET POLITY

- यह राज्य मंत्रिमण्डल पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस हेतु पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। मंत्रिमण्डल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- राज्य विधानमण्डलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। यह केवल संसद द्वारा पारित कुछ संविधान संशोधन विधेयकों का अनुसमर्थन कर सकती है।
- राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

REET POLITY

विधान मंडल की सदस्यता का समापन-

- विधानमण्डल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो सकता है -

1. कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमण्डलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है।

2. कोई भी सदस्य यदि विधानमण्डल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है।

3. यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है।

सदस्यता समाप्त

जेण्डर (लिंग)

शिक्षण विधिया → monday

⑤ class

17, 18, 19, 20